दिनांकः 10.08.2026

अभियुक्त अंजू की ओर से मु0अ0सं0 291/2026, धारा 108 BNS, थाना शाहगंज, जिला आगरा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि उसको झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष हैं। अतः उसको जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन की ओर से मामला गम्भीर, अजमानतीय होने का कथन करते हुये जमानत का विरोध किया गया है तथा अतिरिक्त रूप से कथन किया है कि प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सुना एवं अवलोकन किया।

अभियुक्त उपरोक्त पर मुकदमा वादी के भाई गौरव से पॉच लाख रूपये की डिमाण्ड करने पर आरोप है, जिसके कारण वादी भाई गौरव ने फॉसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियुक्त उपरोक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति के है तथा अपराध की प्रकृति गैर जमानतीय है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को आदेश की प्रति निशुल्क प्रदान की जाए।

(शिवा नन्द गुप्ता)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा।
आई.डी. नं.–यू.पी. 1984

Digitally signed by SHIVA NAND GUPTA
Date: 2026.08.18 10:57:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court